

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या- प्राविपापरिषद सम्बद्धता/2021/3637

संखनऊ दिनांक- 09/08/2021

:- कार्यालय आप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्मरी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विन्नीमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरंत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ/प्र सरकार से सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संघांकित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश शर्तों वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ/प्र सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश शर्तों हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 1323-COLLEGE OF PHARMACY AGRA
 पता : GWALIOR ROAD, ROHTA KI NEHAR, JAKHODA, AGRA

संख्या	पाठ्यक्रम का नाम	ए.आई.सी.टी.ई.टी.पी.सी.आई.टी.ए. द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश शर्तों	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश शर्तों
1	DIPLOMA IN PHARMACY	80	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए.आई.सी.टी.ई.टी.पी.सी.आई.टी.ए. द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेमैस्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य शिर्षक नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक कार्मरी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक कार्मरी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। कीमत निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ/प्र प्राविधिक शिक्षा परिषदों तथा उप समितियों) संस्थाओं को सम्बद्ध किया जना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए.आई.सी.टी.ई.टी.पी.सी.आई.टी.ए. से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ/प्र, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ/प्र तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ/प्र द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करेगी के

संबंधे बाध्य होती।

- ✓ विनियोग इन मामलों में पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद टापर किया जाता है तथा टापर वाद के संबंध में मा. गवर्नरद्वारा द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विनियोग इन मामलों में पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश नवगठित दूरस्थ कार्यक्रम वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी.सी.आई. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्योत्तर को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत महीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिमें रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को धराया जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अवकाश, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्वीकृत निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए.आई.सी.आई. पी.सी.आई. परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू.सं.0-प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

पत्रिका-

पधनागवर्ग निदेशक, COLLEGE OF PHARMACY AGRA, GWALIOR ROAD, ROHTA KI NEHAR, JAKHODA, AGRA



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

भारतीय

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर पट्टा (संलग्नक)

संख्या - प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

संलग्नक दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय आज्ञा:

भारतीय राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्योन्मत्त से सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक से समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता युक्ति सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिकतम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1323-COLLEGE OF PHARMACY AGRA


क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	40	40

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992 विनियमधारा-2000, सेमेस्टर विनियमधारा-2016 तथा सत्र-सत्र पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वषीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वषीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वषीय पाठ्यक्रमों (दो वषीय कार्गो पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शानन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों का पालन करना होगा।

पत्राचार होगा और तदुसार कार्यवाही किया जाय और रोक होगा। पीएम निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु पीएम का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीएम की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था की समय-समय पर निरस्त शासनादेश का अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थाएं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिविधियों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च शिक्षा प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा वाद वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्यात किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करानी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवंटित वातान्तरिक प्रारंभ होने के पूर्व ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रदेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निरस्त नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यकता होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, त्याग, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त कक्षाएँ उपलब्ध कराने के साथ रेजिग रोकने के सम्बन्ध में अपना आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ने कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अवकाश, धनीकर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किया जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्वामीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता पत्रों का अनुपालन न किये जाने अथवा पत्रों का उत्तरागत किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


(ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आई0)


गुणसं०- प्राशिफपरिषद सम्बद्धता/2022/7818-8/55

सचिव

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिश्री-

प्रधानाध्यापक/निदेशक COLLEGE OF PHARMACY AGRA



(प्रधानाध्यापक) बारा

सचिव

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या:- प्राविष/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ दिनांक 12-09-2023

कार्यालय आप:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघीय डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 26-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित धारा के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1323-COLLEGE OF PHARMACY AGRA

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ए०/ए०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदन प्राप्त क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदन प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	50

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुक्रम:- उत्तर प्रदेश सरकार के एन संख्या 3117/8-3009/82/2022 टी०सी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संघीय समस्त संस्थाओं की धारा के निम्न स्तरीय पाठ्यक्रम में जोड़िए गए प्राविधिक शिक्षा संख्या 2022/2023 में भारतीय माध्यम के अधीन निर्धारित अंकों के अधीन संकटगत निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी धारा का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के माध्यम से अनुक्रम संस्थान में समस्त संस्थाएं (यूनि. धारा, सत्र, सत्र) अति उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एम० 1062 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली, 2000, सेमेस्टर विनियमवली, 2016 तथा संस्था सत्र एवं निर्देश संकल्पवली का अनुपालन करेगी तथा सुदृढ़ निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रत्येक वार्षिकता में प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अधिनियम संस्थाओं में शुल्क के सम्बन्ध में समझ-बूझ कर वास्तविक रूप में किये जाने वाले वास्तविक प्रणाली द्वारा और अनुसंधान कार्यवली किये जाने आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश का सुनिश्चित किया जाता है, तो प्रवेश की गतिविधि एवं प्रणाली।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था की समस्त समस्त पर निर्णय काउन्सिल के अनुसंधान निर्देश एवं सम्बद्धता शुल्क तथा करण होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश परीक्षा द्वारा निर्णय विनियमवली/अधिनियम/संस्था/निर्देश/निर्णय एवं निर्देशक प्राविधिक शिक्षा, 2000, संकटगत प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा कल्प नये निर्णय, विनियम, अधिनियम, निर्देशों का पालन करने के लिए आवश्यक है।
- ✓ यदि संस्था का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो एन संस्था में समस्त उपसहयिता संस्था का द्वारा जो विधिक रूप से किसी भी कार्यकारी के लिए संस्था एवं उपरोक्त धारा। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के निम्न धारा को धारा द्वारा किया जाता है तथा धारा धारा के अन्तर्गत में या आवश्यक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति समझ आदेश निर्णय किया जाता है जो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था में करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश एवं के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग धारा होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्तर्गत उक्त प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समस्त समस्त पर निर्णय संकल्प-आवश्यक निर्णय का अनुपालन समस्त कार्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने कैम्पस पर प्राविधिक शिक्षा के सुविधाएं प्रदान कर संस्था को समस्त सुविधाएं जैसे संस्था की वेबसाइट, पुस्तक भूमि, धारा, सत्र, सत्र, उपसहयिता, एवं किये जाने तादा शुल्क, उपसहयिता शुल्क अदि का निर्णय उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था की शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त साधन उपलब्ध कराने के साथ वैश्वीय शिक्षा के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक साधन सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था एवं सुनिश्चित को से कि संस्था में प्रशासनिक/सहायक पाठ्यक्रम को समझा जाने हेतु निर्देशक समिति के समस्त उपलब्ध कराने एवं अधिनियम, पुस्तक, फार्मेसी, उपसहयिता इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संकलन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को समझा जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संकलन संस्था को सम्बद्धता समस्त किये जाने की कार्यकारी की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अधिनियम) और उपसहयिता, संस्थाओं का संकट किये अन्तः विनियमवली 2000 के अधिनियम/सत्र परिषद की धारा एवं अन्तः अधिनियम, धारा और फार्मेसी की परिषद की परिषद के द्वारा परिषद के अधिकार में रहेगी।

जो एक स्वीकृत निर्देशन के तहत यदि सेवा में प्रविष्टि, अथवा, दायित्ववाला, उपकरण एवं अन्य सहायक सामान्य/सौकर्य/सहित/सहित के
संयुक्त उपकरणों की सेवा के तहत सेवा को सम्बन्धित समायोजन कर हो करणी।
सम्बन्धित सेवा का अनुकूलन में किसे करने उपर्युक्त सेवा का प्रत्यक्ष विधि करने की सिद्धि में विद्यमान/अनुकूलन/सहायक कार्यवाही को करणी।

(अशुतोष कुमार मिश्र)

सचिव

दिनांक: 12-09-2023

पुस्तक- प्राथमिक/परिषद सम्बन्धित/2023/12090002-12091230

प्रतिपत्रिका-

प्रधानाचार्य/निदेशक COLLEGE OF PHARMACY AGRA

(अशुतोष कुमार मिश्र)

सचिव